अपील सूचना अधिकार संख्या 38/2018 कुलदीप कुमार नायक पुत्र साधुराम नायक गांव 8 के बी (बी) पोस्ट ऑफिस पतरोड़ा, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम राज्य सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.07.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कुलदीप कुमार नायक दिनांक 27.06.2018 को उपस्थित हुआ, परन्तु आज अपीलार्थी स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, अनूपगढ का जवाब शामिल मिसल है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने दिनांक 07.04.18 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, अनूपगढ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2018 की सूचना समय सीमा में प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है और प्रार्थना की गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उसे निःशुल्क सूचना दिलवाई जावे और प्रार्थी को व्यक्गित रूप से सुनवाई का अवसर दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी कुलदीप कुमार नायक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.04.2018 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीमान्जी आपके कार्यालय में पटवारी पद पर कार्यरत **कर्मचारी हल्का पटवारी 65 जी बी सविता मीणा एवं हल्का पटवार 8के(बी) सपणा मीणा के सर्विस बुक** में दर्ज दस्तावेंजो की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें :

1. जाति प्रमाण पत्र
2. 10 वीं कक्षा की अंकतालिका
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. उक्त कर्मचारियों को किस विभाग/बोर्ड के द्वारा भर्ती किया गया है व कर्मचारी ने सरकारी सेवा किस दिनांक को ज्वाईन की है व किस श्रेणी मे ज्वाईन की SC/ST/Gen
5. अनूपगढ तहसीलदार कार्यालय में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसूचित जनजातियों की सूची, भारत का राजपत्र 1976 अंग्रेजी व 1979 हिन्दी की प्रति प्रदान करें।
6. हल्का पटवारियों व गिरदावर को अनूसूचित जनजाति राजस्थान की हिन्दी में कौनसी सूची प्रदान की गई है, जिसके आधार पर वे रिपोर्ट करते है कि प्रति।

तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ ने अपने पत्रांक भू.अ./2018/1650 दिनांक 25.05.2018 से अपीलार्थी को प्रकार से सूचना उपलब करवाई है :

हस्ता./-
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपने पटवारी पद पर कार्यरत श्रीमती सविता मीणा एवं कु. सपना मीणा के बारे में सूचना के अधिकार में सूचनाएं चाही है। श्रीमती सविता मीणा, पटवारी की सूचनाएं बिन्दुवार निम्न प्रकार से है : (नोट **कु. सपना मीणा इस कार्यालय की नियमित कर्मचारी नहीं है, प्रशिक्षु पटवारी है, इसलिए संबंधित कार्यालय से सूचना प्राप्त करें।)**

1. श्रीमती सविता मीणा का **मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र** एवं **10 वीं की अंकतालिका** की फोटो प्रति संलग्न है। कर्मचारी ने **दिनांक 19.06.2012 को ज्वाईन** किया है।

आप द्वारा चाही गई शेष सूचनाएं सूचना का अधिकार के तहत नहीं आती।

अतः सूचित रहे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार तीन पृष्ठ

—ह.—
तहसीलदार (भू.अ.)
अनूपगढ

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत

शा.
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

चूंकि सपना मीणा प्रशिक्षु पटवारी है और इसकी सूचनाएं सम्बन्धित कार्यालय के अभिलेख से प्राप्त करने के लिए कहा गया है। चूंकि कु. सपना मीणा, प्रशिक्षु पटवारी है इसलिए इससे सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में अपीलार्थी कुलदीप कुमार नायक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2018 की प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी, भू.अ.शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ भेजी जावे कि वे कुमारी सपना मीणा से सम्बन्धित चाही गई सूचना के सम्बन्ध में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण करें।

श्रीमती सविता मीणा के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 1 से 4 की सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 1650 दिनांक 25.05.2018 से अपीलार्थी को दी जा चुकी है किन्तु शेष सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देय न होने के कारण, नहीं दी गई है। जहां तक शेष रही सूचनाओं का सम्बन्ध है वे बिन्दु संख्या 5 व 6 से सम्बन्धित है। बिन्दु संख्या 05 की सूचना का सम्बन्ध है वह भारत सरकार की website से प्राप्त की जा सकती है और बिन्दु संख्या 06 की सूचना प्रश्नात्मक है और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में प्रश्नात्मक सूचना दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील उक्तनुसार निस्तारित की जाती है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, अनूपगढ को भिजवाई जावे। प्रभारी अधिकारी, भू.अ. शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेश की प्रति मय अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2018 की नियमानुसार निस्तारित करने हेतु भेजा जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर